

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/120/2017

तारीख रजु 1.09.2017

उनवान

फतेह सिंह, टीकम पिसरान रामजीलाल जाति जाट निवासी भंगो तहसील हिण्डौन जिला करौली।

-----वादी(02)

बनाम

जगमोहन पुत्र कुंदन वगै. जाति जाट निवासी भंगो शेरपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

-----प्रतिवादी(09)

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- श्री विजयसिंह एडवाकेट।  
प्रतिवादीगण की ओर से :- श्री एस.एल.चौधरी एडवोकेट।

निर्णय

दिनांक 27.11.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा ग्राम भंगो तहसील हिण्डौन के खसरा नंबर 233, 79, 80, 81, 197, 199, 200, 201, 202, 204 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग पेश किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वकील प्रतिवादी को जबाब दावा पेश करने हेतु कई अवसर दिए गये। पत्रावाली पत्रावली दिनांक 27.11.2019 को जबाब दावा की स्टेज पर पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाई गई। वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए। जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावा में कोई रुचि नहीं ले रहा है।

अतः वादीगण का दावा मुकदमा नंबर 120/2017 फतेहसिंह बनाम जगमोहन अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



27.11.19  
(सुरेश कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन